न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	तनवीर चौधरी आर.जे.एस. (डी.जे.केडर)
वि.फौ.प्र.सं.	–	372/2026
सी.आई.एस. नम्बर	–	401/2026
C.N.R. Number	–	RJHG010010832026

फूलन देवी अहिरवार उर्फ शिवानी शर्मा उर्फ सुहानी पत्नी श्री प्रकाश पुत्री श्री रामदयाल उम्र 24 साल निवासी मकान नम्बर 45 वार्ड नम्बर 1 चमरोई बड़ा मलहरा जिला छतरपुर मध्यप्रदेश हाल यादव मोहल्ला हिसार हरियाणा।

–प्रार्थीया/अभियुक्ता

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना, पीलीबंगा की प्राथमिकी सं0 128/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 308(2), 308(6), 316(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितिः–
श्री जाकिर हुसैन, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
श्री मनोज कुमार शर्मा, लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः– 02.06.2026**

1. विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा द्वारा पुलिस थाना, पीलीबंगा की प्राथमिकी सं0 128/2026 में प्रार्थीया/अभियुक्ता फूलन देवी अहिरवार उर्फ शिवानी शर्मा उर्फ सुहानी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 18.05.2026 को खारिज किये जाने पर उसकी ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को देकर अनुसंधान पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 11.02.2026 को परिवादी प्रहलाद ने न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीबंगा में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादी पीलीबंगा थाना के चक 44 एनडीआर का रहने वाला है। परिवादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। परिवादी अपनी वृद्ध माता के साथ निवास करता है। परिवादी की शादी की उम्र हो रखी थी इसलिए परिवादी के परिवार वालों ने परिवादी की रिश्तेदारी में परिवादी का रिश्ता एवं शादी करवाने की बात कह रखी थी। अभियुक्त सं 1 हंसराज जो रिश्तेदारी में परिवादी का मौसा लगता है, अपने साथ अभियुक्त सं 2 संदीप मेघवाल को लेकर दिनांक 10.8.2025 को परिवादी के घर चक 44 एनडीआर आया तथा परिवादी एवं उसकी माता दर्शना देवी को कहा कि उनकी जानकारी में हिसार की एक शिवानी नाम की लड़की का रिश्ता है। शिवानी अपनी मौसी की बेटी बहिन सरोज के पास हिसार में रहती है। लड़की के माता पिता नहीं है, लड़की गरीब घर की है, उसके साथ शादी करवा देते हैं। लड़की की सारी जिम्मेवारी अभियुक्त सं 1 व 2 ने ली तथा कहा कि शिवानी के कपड़े वगैरा तथा शादी के अन्य

खर्चों के 1,50,000/– रूपये उनको देने होंगे तथा दो दिन में लड़की की शादी करनी है, नहीं तो लड़की का कहीं और जगह रिश्ता हो जायेगा। यह कहकर दोनों अभियुक्तगण ने परिवादी एवं उसकी माता दर्शना देवी को परिवादी की शादी उक्त शिवानी नामक लड़की के साथ करने तथा 1,50,000/– रूपये देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया। अभियुक्त सं 1 हंसराज सहारण परिवादी का रिश्तेदारी में मौसा लगने के कारण परिवादी एवं उसके परिवार वालों ने अभियुक्त पर विश्वास कर लिया और उनकी बताई गई लड़की के साथ शादी के लिए हां कर दी। दिनांक 14.08.2025 को अभियुक्त सं 1 हंसराज सहारण ने परिवादी को फोन कर कहा कि आप लोग 19 तारीख को बारात ले आना, शादी करके लड़की भेज देंगे तथा लड़की के कपडे वगैरा के लिए अभी उन्हें 15000/– रूपये दो, जिस पर परिवादी ने अभियुक्त सं 1 हंसराज सहारण को उसके मोबाईल नं 9812710389 पर 15,000/– रूपये फोन पे कर दिए। दिनांक 19.8.2025 को परिवादी व उसका बहनोई मुकेश गोदारा दोनों हिसार गये। तब परिवादी वगैरा को वहां अभियुक्त सं 1 हंसराज सहारण व अभियुक्त सं 2 संदीप मेघवाल मिल गये तथा 1,50,000/– रूपये मांगे, तब परिवादी ने उनको 1,50,000/– रूपये नकद दे दिये। तब वे उन्हें किसी के घर लेकर गये तथा कहा कि लड़की अपनी मौसी की बेटी बहिन सरोज के साथ यहां इस घर में रहती है। इनके कोई मृत्यु हो गई है इसलिए मन्दिर में शादी कर देते हैं तथा हिसार में शिव मन्दिर में जाकर वरमाला इत्यादि डालकर लड़की शिवानी के साथ परिवादी की शादी कर दी। शिवानी पत्नी बनकर उसके साथ आ गई। इसके बाद दिनांक 25.08.2025 को अभियुक्त सं 2 संदीप मेघवाल ने परिवादी को फोन कर कहा कि शादी में वरमाला इत्यादि के हमारे 9,000/– रूपये और लगे हैं, वे उन्हें देने होंगे, जिस पर परिवादी ने अभियुक्त सं 2 संदीप मेघवाल के मोबाईल नं 9518052003 पर 9,000/– रूपये फोन पे कर दिए। दिनांक 02.09.2025 को अभियुक्तगण ने परिवादी को फोन कर कहा कि शिवानी की मौसी की बेटी बहिन सरोज के भाई का स्वर्गवास हो गया है तथा कल पानी ढाल है। वह लड़की को हिसार छोड़ जाये, 5–7 दिन बाद लड़की को वापिस भेजने की जिम्मेवारी दोनों अभियुक्तगण ने ली। दिनांक 03.09.2025 को परिवादी शिवानी को हिसार उसकी मौसी की बेटी बहिन सरोज के घर छोड़ आया, तब सरोज ने परिवादी को कहा कि 5–7 दिन बाद आप शिवानी को ले जाना। इसके 5–7 दिन बाद परिवादी ने अभियुक्त सं 1 व अभियुक्त सं 2 को लड़की शिवानी के लिए कहा, तो ये बहानेबाजी कर काफी दिन टालते रहे तथा बार–बार कहने पर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ तथा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब परिवादी अपने साथ विकास गोदारा, प्रकाश जाखड़ वगैरा को साथ लेकर अभियुक्तगण के गांव निमला जाकर पंचायत की, जहां पर दोनों अभियुक्तगण भी मौजूद थे। तब पंचायत के लोगो ने अभियुक्त सं 1 व अभियुक्त सं 2 को उक्त शिवानी को भेजने के लिए या उनके द्वारा परिवादीगण से बेईमानीपूर्वक प्राप्त किए गये 1,50,000/– रूपये देने का कहा, तो अभियुक्तगण ने कहा कि वे लोग इसी प्रकार भोले–भाले लोगों को शादी करवाने का झांसा देकर उनसे रूपये ऐंठते हैं। इसी तरह उनसे ऐंठ लिए तथा आपसे लिए गये रूपये उन्होंने (हंसराज सहारण, संदीप मेघवाल, शिवानी व सरोज) ने आपस में बराबर 7 बराबर बांट लिए हैं तथा यदि परिवादी ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की, तो वे उस पर बलात्कार का झूठा मुकदमा करवा कर आजीवन जेल करवा देंगे। इस प्रकार अभियुक्त

सं0 1 व 2 ने एक गिरोह बनाकर शादी का लालच देकर परिवादी के साथ 1,74,000/– रूपये की ठगी कर ली तथा अब उक्त शिवानी से बलात्कार का झूठा मुकदमा करवा कर जेल भिजवाने का भय कारित कर रूपयों की मांग कर ब्लैकमेल कर रहे है.....आदि। विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीलीबंगा द्वारा उक्त परिवाद को धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आगामी कार्यवाही हेतु पुलिस थाना पीलीबंगा को प्रेषित किया गया, जहां पर प्राथमिकी सं0 128/2026 दर्ज की जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता का तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ है। हंसराज परिवादी का मौसा लगता है। परिवादी पैसे हंसराज को ही देना बता रहा है। फोन पे 15,000/– रूपये भी परिवादी ने हंसराज को किये हैं। परिवादी ने 1,50,000/– रूपये नगद भी हंसराज व संदीप को दिये हैं। परिवादी ने प्रार्थीया/अभियुक्ता को कोई पैसे नहीं दिये। परिवादी की शादी करवाने वाला भी परिवादी का मौसा है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता लम्बे समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 318(4), 308(2), 308(6), 316(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता का गंभीर आरोप है। डेढ़ लाख रूपये में से एक लाख रूपये प्रार्थीया/अभियुक्ता को मिले हैं। सह–अभियुक्त संदीप को 9,000/– रूपये व सह–अभियुक्त हंसराज को 15,000/– रूपये फोन–पे हुए हैं। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध इसी प्रकृति का एक आपराधिक प्रकरण पूर्व में भी दर्ज है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया/अभियुक्ता के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट निम्न है :–

S.No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
1	45/2026 सिरसा	–	316(2), 318(4), 61(2) बी.एन.एस.	–	–	–	–

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर परिवादी को उसकी शादी करवाने का झांसा देकर स्वयं को लाभ व परिवादी को हानि कारित करने के उद्देश्य से परिवादी को प्रवंचित कर उससे रूपये प्राप्त करने व परिवादी को बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का धारा 318(4), 308(2), 308(6), 316(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता का गंभीर आरोप है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध इसी प्रकृति का पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण दर्ज है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता वह मुख्य महिला है, जिसके साथ विवाह किये जाने के नाम पर ठगी की गई है। छल के जरिये प्राप्त की गई ज्यादातर राशि प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा ही प्राप्त की गई है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 308(6) भारतीय न्याय संहिता में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। प्रार्थीया/अभियुक्ता का मामला सह–अभियुक्त से भिन्न है। समाज में इस तरह के अपराधों में दिन–प्रति–दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति अत्यन्त गंभीर है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। अतः इस स्तर पर मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता फूलन देवी अहिरवार उर्फ शिवानी शर्मा उर्फ सुहानी की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

Sd/-
(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/-
(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

MANISH KUMAR
STENO GRADE Ist
Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2026.06.05 11:25:05 +0530